उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग

संख्या-48/2016/571 /58-2-2016-300(9)/2016

लखनऊ :दिनांक:: 02 जून, 2016

<u>शुद्धि-पत्र</u>

शासनादेश संख्या-44/2016/441/58-2-2016-300(9)/2016, दिनांक-03.05.2016 के तालिका में लेखाशीर्षक-2401-789-05-खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास की योजनान्तर्गत-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय मद में कालम संख्या-4 एवं 5 में अंकित धनराशि रू0-1550 हजार के स्थान पर रू0-1530 हजार (रूपये पन्द्रह लाख तीस हजार मात्र) पढ़ा जाए।

2. उक्त शासनादेश दिनांक-03.05.2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या-48/2016/571(1)/58-2-2016, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(8) समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in